



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1947 (श10)

(सं० पटना 1328) पटना, शुक्रवार, 8 अगस्त 2025

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

4 अगस्त 2025

सं० 11/न0वि0/गठन-02/2025/2263—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 7 तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 2145 दिनांक 10.08.2022 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचार करने के पश्चात उक्त अधिनियम के लिए कॉलम 3 के अन्तर्गत आनेवाले सारण जिले के कॉलम 4 में वर्णित चौहद्दी (सीमाओं) के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-1475 दिनांक-23.05.2025 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, नगर पंचायत, सोनपुर को नगर परिषद में उल्लिखित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को क्षेत्र में लागू करते हैं:-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना नं०	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं० सहित)	नगर परिषद का क्षेत्रफल	नगर परिषद की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
जिला का नाम—सारण					
1	नगर परिषद, सोनपुर	कोई नया ग्राम/क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया है।	उत्तर—बैजलपुर फकीर (61), दामोदरपुर (62), सकटियाँ (64), चित्रसेनपुर (72) दक्षिण—शाहपुर (116), नजरमीरा (115), सबलपुर, राहर दियरा (113) पूरब—गंडक नदी, जिला—वैशाली पश्चिम—दुधैला (92), जैतियाँ (93)	7.73 वर्ग कि०मी०	37776

इस क्षेत्र को नगर परिषद, सोनपुर कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

4 अगस्त 2025

11/न0वि0/गठन-02/25 अधिसूचना संख्या-2263 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

The 4th August 2025

No. 11/N. Vi./Gathan-02/25/2263—In exercise of the powers conferred by sections 3 (1) (a), 4, 5, 6 and 7 of the Bihar Municipalities Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) (as amended), and departmental notification number 2145 dated 10.08.2022 the Governor of Bihar, after due consideration of the objections received, in the areas falling within the boundaries as mentioned in column 4 of Saran district falling under column 3 of the following statement for the purposes of the said Act, the draft of which has been previously published by the departmental notification number 1475 dated 23.05.2025, upgrades Nagar Panchayat, Sonpur to Nagar Parishad and applies the relevant provisions of the said Act in the said areas:-

Sl.no	Name of Urban Body	Name /thana no. of included Villages	Boundary (with thana no.) of Nagar Parishad	Area of Nagar Parishad	Total Population of Nagar Parishad (as per census year, 2011)
1	2	3	4	5	6
Name of District-Saran					
1	Nagar Parishad, Sonpur	No new villege /Area has been added.	North-Baijalpur Fakir (61), Damodarpur (62), Sakatiya (64), Chitrasenpur(72) South- Shahpur (116), Najarmira (115), Sabalpur, Rahar Diyara (113) East-Gandak River, District-Vaishali West- Dudhaila (92), Jaitiya (93)	7.73 Sqare K.M	37776

This area will be called Nagar Prishad, Sonpur .

2.This notification shall come in to force at once.

By the order of the Governor of Bihar,
Abhay Kumar Singh,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1328-571+200-डी0टी0पी0

Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>